

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

**असाधारण**  
**EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

**प्राधिकार से प्रकाशित**  
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

---

सं. 344] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 20, 1984/असाढ़ 29, 1906  
(No. 344) NEW DELHI, FRIDAY, JULY 20, 1984/ASADHA 29, 1906

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

---

उद्योग मंत्रालय  
(भारी उद्योग विभाग)

अभिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1984

का. आ. 528(अ).—भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-2, खंड 3, उप-  
खंड (2) में प्रकाशित भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग), की  
अभिसूचना का. आ. सं. 368(ई.) दिनांक 21 मई, 1983 में आंशिक रूप से भेद  
करते हुए, उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) एतद्वारा उक्त अभिसूचना में  
निम्नलिखित संशोधन करता है :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 6 में उल्लिखित “एसेम्बली लाइन से किसी विशिष्ट गाड़ी को चुनने के लिए सक्षम होगी” शब्दों के स्थान पर “एसेम्बली लाइन से किसी विशिष्ट गाड़ी को या निर्माता के किसी भी अधिकृत विक्रेता से चुनने के लिए सक्षम होगी” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[फा. सं. 10(6)/84-ए.इ.आई.-1]

के. एस. बेन्स, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY  
(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17 July, 1984

S O. 525(E).—In partial modification of the Notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Heavy Industry) No. S. O. 368(E) dated 21st May, 1983, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II-Section 3-Sub-section (ii), the Ministry of Industry (Department of Heavy Industry) hereby makes the following amendments in the said notification :—

In the said notification the words “competent to select any particular vehicle from the assembly line” appearing in para 6 shall be substituted with the words “competent to select any particular vehicle from the assembly line or from any of the authorised dealers of the manufacturer”.

[F. No. 10(5)/84-A.E.I.-1]

K. S. BAINS, Jt. Secy.